



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102023-249608
CG-DL-E-21102023-249608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945

No. 4421]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4595(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को तांबे के उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद प्रभावी होगा:
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग -** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-11 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** – उक्त ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी** – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
तांबे के उत्पाद	12444:2020	विद्युत अनुप्रयोगों के लिए कॉपर वायर रॉड
	613:2000	विद्युत प्रयोजनों के लिए कॉपर रॉड और बार
	1897:2008	विद्युत प्रयोजनों के लिए कॉपर स्ट्रिप
	4171:1983	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए कॉपर रॉड व बार
	1545: 1994	कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए सॉलिड ड्रॉन कॉपर और कॉपर अलॉय ट्यूब
	2501: 1995	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए सॉलिड ड्रॉन कॉपर ट्यूब
	14810: 2000	प्लंबिंग स्पेसिफिकेशन के लिए कॉपर ट्यूब
	10773:1995	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्रयोजनों के लिए रॉट कॉपर ट्यूब
	4412:1981	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए कॉपर वायर

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4595(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) This order may be called the Copper Products (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided further that in relation to micro Enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to small Enterprises, as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. Penalty for contravention. – Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Copper Products	12444:2020	Copper Wire Rods for Electrical Applications
	613:2000	Copper Rods and Bars for Electrical Purposes
	1897:2008	Copper strip for electrical purposes
	4171:1983	Copper rods and bars for general engineering purposes
	1545: 1994	Solid drawn copper and copper alloy tubes for condensers and heat exchangers
	2501: 1995	Solid drawn copper tubes for general engineering purposes
	14810: 2000	Copper Tubes for plumbing- Specification
	10773:1995	Wrought Copper Tubes for Refrigeration and Air-Conditioning Purposes
	4412:1981	Copper wires for general engineering purposes

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.